



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखण्ड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386



अहाँ हँ राँचीवासी ।
वहाँ हँ खुरजावासी ।।

पत्रांक:- 1637 दिनांक:- 09.05.2024

सेवा में,

उप सचिव,

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं
युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

09.05.2024
13/5/24

विषय:-

पर्यटन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा राँची वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा- ब्राम्बे में होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण हेतु 4.05 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-433 दिनांक-06.05.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव में आपके द्वारा दिनांक-27.08.2019 को निवर्तमान मूल्य एवं क्षतिपूरक वनरोपण मद में कुल रुपये- 37,13,090.00 जमा किया गया था, किन्तु तकनीकी कारणों से यह PARIVESH portal के payment history में प्रदर्शित नहीं हो रहा था, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के स्तर से भारत सरकार के कैम्पा National Authority से अनुरोध किया गया था।

तदोपरान्त, भारत सरकार के द्वारा (छायाप्रति संलग्न) निम्न सूचित किया गया है:-

'Compensatory levies totaling to Rs. 37,13,090.00 [Rs. 9,79,550.00 towards compensatory afforestation and Rs. 27,33,540.00 towards Net Present Value] have been received vide UTR number SBIN319239379466 in saving account number 520101263743558 maintained in the name of "Compensatory Afforestation Fund - Jharkhand" in Corporation Bank (Now Union Bank of India, Lodhi Complex, New Delhi- 110003 on 27.08.2019."

उपरोक्त के अतिरिक्त कहना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, न्यू दिल्ली के पत्रांक- 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक-06.01.2022 एवं दिनांक-22.03.2022 द्वारा जारी Revised NPV Rate के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-3377 दिनांक-05.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा NPV मद में अवशेष राशि 22,42,250.00 (बाईस लाख ब्यालिस हजार दो सौ पचास) रुपया की माँग की गई है।

अनुरोध है कि पुनरीक्षित निवर्तमान मूल्य (NPV) के रूप में अंतर राशि 22,42,250.00 (बाईस लाख ब्यालिस हजार दो सौ पचास) रुपया e- चालान जेनरेट कर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं स्टेज-I का ऑनलाईन अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

श्री कार्यालय
14/05/2024
पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार
राँची, दिनांक-14.05.24



कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँचा वन प्रमण्डल, राँचा

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

(734)

जहाँ है दफ्तारी ।
वहाँ है खसालती ॥

पत्रांक :- दिनांक :-

सेवा में,

सचिव,

पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं
युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत
मौजा- ब्राम्बे में होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण हेतु 4.05 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड,
राँची का पत्रांक 674 दिनांक 25.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति) के संदर्भ में सूचित करना है कि भारत
सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-FC (Vol-i)
दिनांक 06.01.2022 एवं दिनांक 22.03.2022 द्वारा जारी Revised NPV Rate के आलोक में विवरणी
निम्नवत् है :-

क्रम सं०	विवरणी	रकम
1.	NPV की राशि - 4.05 x 1228590/- कुल वन भूमि 4.05 हे० (घनत्व 0.4) @ 1228590/- की दर से (Eco class 3 and density 0.4 के अनुसार 1228590/- रू० प्रति हे०)	4975789.50 Or Say 4975790.00
2.	पूर्व में जमा की गई NPV की राशि	2733540.00
3.	अंतर राशि	2242250.00
	कुल-	2242250.00

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल रू०- 22,42,250.00 (बाईस
लाख बेयालीस हजार दो सौ पचास) मात्र को e- चालान generate कर समर्पित करना सुनिश्चित
करेंगे। साथ ही अनुरोध है कि प्रसंगाधीन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या-1 एवं 3 का अनुपालन भी
समर्पित करने की कृपा करें।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

ज्ञापक :- 3377 दिनांक :- 05-08-2022

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।